LOK SABHA

Thursday, August 19, 1965/*Sravana* 28, 1887 (*Saka*)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Food Adulteration

\+
*91. **Shri Yashpal Singh:**
Shri R. S. Pandey:
Shri D. C. Sharma:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Gulshan:
Shri D. J. Naik:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri P. C. Borooah:
Shri Sarjoo Pandey:
Shri Warior:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Narendra Singh Mahida:
Shri R. Barua:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Kanakasabai:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to set up a separate Inspectorate for enforcement of quality and to prevent food adulteration; and

(b) if so, the details of proposal?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Shri P. S. Naskar): (a) A proposal for the establishment of a Central Unit with zonal organisations to assist the State Governments in the proper implementation of the Prevention of Food Adulteration Act, during the IV Plan, is under consideration.

(b) The details of the proposal are being worked out.

श्री यशपाल सिंह : इसी आदरणीय सदन में सब ने यह पास किया था कि एडल्ट्रेशन करने वालों को लाइफ़ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा दी जाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आज तक किसी शख्स को लाइफ़ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : श्रीमन्, इस सदन की सिलेक्ट कमेटी ने जो पास किया और इस सदन ने जो पास किया, वह कानून में आया है । आजीवन कैद की बात न सिलेक्ट कमेटी ने मानी और न इस सदन ने ।

श्री यशपाल सिंह : भारत में छोटे छोटे ख्वांचे वालों को छोड़ कर किसी बड़ी कम्पनी को जो ज्यादा से ज्यादा सजा दी गई है, वह मैं जानना चाहता हूं ।

डा० सुशीला नायर : मेरे पास कम्पनीज और दूसरों की अलग इन्फ़र्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास पूरी जानकारी मौजूद है कि कितने प्रासीक्यूशन हुए हैं, कितनों को जेल मिली है, कितनों को फ़ाइन हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सब से ज्यादा सजा क्या दी गई है ?

डा० सुशीला नायर : मेरे पास एक एक केस की अलग अलग सजा की इन्फ़र्मेशन नहीं है, लेकिन 1964 में मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में प्रासीक्यूशन किये गये 6419 । मैक्सिमम पनिश्मेंट मेरे पास नहीं है । 76 को कैद की सजा दी गई ।

Shri D. C. Sharma: May I know whether the Inspectorates for the enforcement of quality and the prevention of food adulteration of food have started functioning in the States and, if so, in how many States they are functioning now and by what time all the States will be covered by this regulation?

Dr. Sushila Nayar: All the States are implementing the Act. In some States the implementation machinery is more satisfactory than in others. We have provided Rs. 12 crores in the Fourth Plan to help the States to improve their machinery and I hope things will improve.

Shri D. C. Sharma: In how many States are they functioning effectively?

Dr. Sushila Nayar: The implementation is being done in all the States. As I said, some States are doing better than others. I have a long statement. I will pass it on to the hon. Member if he so desires.

श्री राम हरख यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि फूड एडल्टरेशन को रोकने के मुताल्लिक जो मौजूदा स्कीम है, क्या गवर्नमेंट को उस से तस्कीन है कि वह ठीक तरीके से चल रही है? इस इंस्पैक्टरेट के अलावा क्या गवर्नमेंट कोई और भी तरकीब सोच रही है, जिस से खाने की चीजों में मिलावट न हो सके?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, स्कीम में इंस्पैक्टर्ज बढ़ाने और उन की टर्म्ज आफ़ सर्विस में सुधार करने की बात है, लैबारेटरीज बढ़ाने और एनैलिस्ट्स वगैरह की सर्विस में सुधार करने की बात है। इन सब कार्यवाहियों से बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। इतना मैं कहना चाहती हूं कि पिछले साल जो कड़ी सजायें हुई हैं, उन से बहुत सी जगहों में परसेंटेज आफ़ एडल्ट्रेशन कम हो गया है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए एक अलग निरीक्षालय बनाने का जो प्रस्ताव किया है, क्या उस के सम्बन्ध में भारत के विशेषज्ञों से राय ली गई है कि निरीक्षालय की रूपरेखा क्या हो?

डा० सुशीला नायर : विशेषज्ञों से सलाह-मशवरा कर के ही काम हुआ है। एक खास कमेटी भी है इस काम में सलाह देने के लिए।

Shri Surendra Pal Singh: The hon. Minister just now stated that a separate scheme is being put into operation for the preventation of food adulteration in the country. May we know what new inducements, financial or otherwise, have been given to the staff who run the scheme so that they may work more honestly and efficiently in future?

Dr. Sushila Nayar: I do not know what inducements the hon. member has in his mind which will make them work more honestly and better. We feel that certain changes are necessary. One is that we have suggested provincialisation of the services of the Inspectors, so that each municipality does not have its separate Inspectorate. The second is improvement of the service conditions. The third is some Central Inspectorate to see to it that things are going on properly and inter-State check is done.

श्री ओंकार लाल बेरवा : आज स्थिति यह है कि राजस्थान के लिए परीक्षणालय मद्रास में है, जिस का परिणाम यह है कि टैस्ट के लिए जो नमूने लिए जाते हैं, छः छः महीने तक उन के रिजल्ट नहीं आते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्रान्तवार परीक्षणालय बनाने के सम्बन्ध में विचार किया है।

डा० सुशीला नायर : यह बात भी विचाराधीन है।

श्री गुलशन : क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि जहर को छोड़ कर कोई ऐसी खाद्य वस्तु है, जो कि मिलावट से मुक्त हो?

श्री हुकम चन्द कछवाय : जहर में भी मिलावट है ।

डा० सुशीला नायर : यह तो माननीय सदस्य की राय है ।

श्री वे० जी० नायक : फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो कानून पास किया गया है और सरकार ने जो दूसरे कदम उठाए हैं, क्या उन से इस बारे में कोई फ़ायदा हुआ है या फूड एडल्ट्रेशन वैसे ही चलता है ?

डा० सुशीला नायर : मैं ने निवेदन किया है कि पिछले साल परसेंटेज आफ़ एडल्ट्रेशन कम हुआ है ।

Shri P. B. Chakraverti: Have the Government set up adequate machinery in all the States to deal with those who are indulging in food adulteration, which is an offence equally heinous to them also?

Dr. Sushila Nayar: The Government of India have not set up any machinery, but the State Governments have set up their machinery, which is good in some places and weak in others.

Shri P. C. Borooah: Has the attention of the Minister been drawn to an article in "The Hindustan Times" of August 14, where it is stated that the rice sold through fair price shops at the rate of 98 Paise per kilogram is a mixture of 20 per cent stone chips, 10 per cent coarse grains and 70 per cent inferior broken rice? If so, does the Govenment think that the present law for adulteration of food is enough to meet the situation without providing for deterrent punishment for offenders and simplification of law?

Dr. Sushila Nayar: I take the information from the hon. Member. I have no doubt that, whoever is the culprit in this regard the law will take care of him.

श्री सरजू पाण्डेय : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के लिए काफ़ी लोगों को सजायें दी गई हैं । मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उन लोगों की हैसियत का भी पता लगाया है कि कितने पकौड़ी बेचने वाले हैं और कितने बड़े लोग हैं ।

डा० सुशीला नायर : जो बड़े बड़े जुर्माने लिए गए हैं, उस से ज़ाहिर होता है कि उन की हैसियत अच्छी ही होगी, वर्ना वे दे नहीं पाते ।

Shri Warior: May I know whether the Government have received any complaints from dealers in the South that food adulteration, especially in pulses and cereals, is made at the point of despatch and not at the point of receipt and no action has been taken by the Central Government or the State Governments involved?

Dr. Sushila Nayar: No, Sir; the check is kept at all points. The new law provides that, if the dealer can prove that he has not adulterated—certain definitions have been given—then the prosecution will go to the man who has done it, namely, from where he made purchase.

Shri Narendra Singh Mahida: May I know whether it is a fact that Mr. Naskar, the Union Deputy Minister, in a meeting of the Central Committee of Food Standards has stated the following:—

> "That the amendments made to the Act early this year had provided for stringent punishment with a minimum imprisonment for six months for the first offence, but cases of adulteration had not dropped appreciably. The implementation of the Act had also not been satisfactory."

Further....

Mr. Speaker: Order, order. That is one man's opinion. He might ask the supplementary.

Shri Narendra Singh Mahida:..... whether 23,000 cases were pending before the courts till December, 1963, according to his own statement?

Shri P. S. Naskar: It is a fact that about 23,000 cases were pending in the various courts in the country by the end of 1963, and it is also a fact that by the end of 1964 about 19,000 cases were pending. That is a fact and I had stated that. We are appealing to the State Governments to look into the matter.

श्री विभूति मिश्र : राज्य घटता जाए, हुकूमत बढ़ती जाए । अभी हैल्थ डिपार्टमैंट के जिम्मे जो कारकुन हैं, वे कारकुन कहां तक ईमानदार हैं और क्या वे ईमानदारी से फूड एडलट्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस सम्बन्ध में भी जांच की गई है ? यदि परीक्षा की है तो क्या यह मालूम हुआ है कि वे ठीक से काम करते हैं ? यदि ठीक से काम करते हैं तो दूसरा एक और डिपार्टमैंट लादने की क्या जरूरत है ?

डा० सुशीला नायर : हैल्थ मिनिस्टरी के कोई कारकुन नहीं हैं जो यह काम कर रहे हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या दिल्ली में भी कोई एन्फोर्समैंट डायरेक्टोरेट काम करता है, यदि हां तो मिनिस्टर साहब की छत्रछाया में दिल्ली के फुटपाथों पर जो मक्खियों से भिनभिनाते हुए खाद्यान्न बिकते हैं, उसके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई हो रही है ?

डा० सुशीला नायर : दिल्ली में दिल्ली कारपोरेशन काम करती है, भारत सरकार काम नहीं करती है ।

श्री विश्राम प्रसाद : फूड जो एडल्ट्रेट किया जाता है उसकी वजह से इस देश की जनता की तन्दुरुस्ती कितनी डाउन गई है और किस किस तरह की नई बीमारियां फैली हैं क्या इसका भी पता लगाया गया है ?

डा० सुशीला नायर : कोई अलग अलग बीमारियां फैली हैं इससे, यह तो कहना कठिन है लेकिन क्या बीमारियां हो सकती हैं यह हम जानते हैं, इसलिए उनकी रोकथाम करने की कोशिश करते हैं ।

Shri P. R. Patel: Stone chips are used for adulteration of foodgrains. May I know whether for manufacturing these stone chips, import licences have been given and machinery has been imported under licence given by Government?

Shri P. S. Naskar: We have no information. The question may be put to the Ministry concerned.

Mr. Speaker: Hon. Members should take care that the level of the debate does not go down.

दिल्ली में मूर्तियों की स्थापना

\+

*92. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या निर्माण और आवास मंत्री 6 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1205 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में भारतीय नेताओं की मूर्ति-स्थापना सम्बन्धी समिति ने क्या प्रगति की है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) ये निर्णय कब क्रियान्वित किये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). इस मामले पर विचार करने के लिए 10 अगस्त, 1965 को एक कमेटी बना दी गयी है । मैम्बरों के नामों की विवरण सभा पटल पर रखा गया है । कमेटी की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है,